आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. रिविजन वाद संख्या –84 / 2021

चितरंजन कुमार साह

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
16.02.2023	यह अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO. 198 / 2021 में दिनांक 06.09.2021 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–23.01.2020 को लिये गये निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO. 6465 / 2021 में दिनांक 22.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में श्रीमती सोनी कुमारी द्वारा वाद सं0–241 / 2022 दायर किया गया है, जो इसी चयन से संबंधित है। यह मामला बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अंश निम्न प्रकार हैः– **" At the outset, the learned counsel for the petitioner seeks liberty to approach the Divisional Commissioner, Muzaffarpur by filling appropriate appeal under Rule 32 (vi) of the Bihar Targeted P.D.S Control (Order), 2016. Liberty so sought is granted.** **Accordingly, the present writ petition stands disposed of with liberty to the petitioner to file appropriate appeal before the appellate authority and in case such an appeal is filed within period of four weeks from today, the appellate authority shall consider the same on merits and dispose it off by a reasoned and a speaking order, in accordance with law, within a period of eight weeks,**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

thereafter ."

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में पहली बार श्रीमती सोनी कुमारी का चयन किया गया। श्री चितरंजन कुमार साह द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया कि श्रीमती सोनी कुमारी के पति पैक्स के चेयरमैन है। पुनः समिति द्वारा श्री रणधीर कुमार, पिता–श्री राधा मोहन सिंह को दिव्यांग होने के कारण चयन में प्राथमिकता देते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया।

आवेदक श्री चितरंजन कुमार साह के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) श्री रणधीर कुमार दिव्यांग नहीं है। वे मनरेगा जॉब कार्ड धारित करते है और वे मोटरसाईकल, ट्रैक्टर आदि चलाते है। उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र फर्जी है।

(ii) विज्ञापन की सूची का क्रम सं0–19,56,102,143,162,198 तथा 222 दिव्यांग के लिए आरक्षित है। अपीलकर्ता द्वारा क्रम सं0–89 के लिए आवेदन दिया गया है, जो अनारक्षित कोटि के लिए है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एंव वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

अपीलकर्ता का यह कहना है कि श्री रणधीर कुमार दिव्यांग नहीं है, मनरेगा जॉब कार्ड एवं मोटरसाईकल आर0सी0 धारित करते है, के संबंध में कहना है कि श्री रणधीर कुमार का दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत है। दिव्यांग व्यक्ति को मनरेगा जॉब कार्ड या मोटरसाईकल का आर0सी0 धारित करने पर कोई रोक नहीं है।

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा मेधा क्रमांक–8 पर अंकित श्री रणधीर कुमार को दिव्यांग होने के कारण चयन में प्राथमिकता देते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है।

जब विज्ञापन सूची का क्रम सं0–19, 56, 102, 143, 162, 198 एवं 222 सिर्फ दिव्यांग हेतु आरक्षित है, तो पुनः क्रम सं0–89 जो अनारक्षित के लिए है, में दिव्यांग आवेदक को दिव्यांगता के आधार पर प्राथमिकता दिया जाना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। अनुमंडल पदाधिकारी या जिला चयन समिति के अभिलेख में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि रोस्टर में कोई

WEB COPY NOT OFFICIAL

संशोधन/बदलाव विधिवत किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेख में रक्षित कागजात के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर द्वारा आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है, जो बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 6(iii) एवं 7 के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 23.01.2020 को लिये गये निर्णय में आरक्षण संबंधी त्रुटि पाते हुए प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 6(iii) एवं 7 में अंकित प्रावधानों के आलोक में सभी पक्षों को सुनकर आदेश निर्गत की तिथि से 6 से 8 सप्ताह में नियमानुकूल आदेश पारित करें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL